न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक ....

निगरानी- 4200/2018/सागर/भू.रा.

महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यालय ,

सागर प्रबंध न्यासी गिरीशचंद वर्मा

आत्मज श्री के के वर्मा द्वारा प्राचार्य

अतुल वर्मा पिता स्वः श्री कृष्ण कुमार वर्मा

आयु -49 वर्ष

महर्षि विधा मंदिर भोपाल रोड सागर

तहसील व जिला सागर ....निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. .... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक .... नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-7-18 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1) म.प्र. शासन

2) सुधीर सोनी आत्मज स्व रामबाबू सोनी

आयु - वयस्क, निवासी- 31 गांधी चौक

वार्ड सागर तह. व जिला सागर ....उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व सहिंता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 0032/अ-68/2016-17 मे पारित आलौच्य अन्तिरिम आदेश दिनांक 22.12.2017 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर सत्यप्रतिलिपि प्राप्ती दिनांक 01.06.2018 से समय अवधि मे प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी प्रकरण के तथ्य

1) यह कि पटवारी हल्का नम्बर 50 तहसील सागर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे ग्राम लहदरा की भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.14 हैक्टेयर पर निगरानीकर्ता द्वारा बॉउड्री बॉल एवं खेल का मैदान बनाकर अतिक्रमण करने संबंधी लेख कर प्रतिवेदन तहसीलदार सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क 0032/अ-68/2016-17 दर्ज किया गया जिसमे निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए जिसका जबाव निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया उक्त प्रकरण मे उत्तरदाता क 02 द्वारा बिना आधार के एक आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2017 को अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया सहिंता का प्रस्तुत कर प्रकरण मे पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसका जबाव निगरानीकर्ता ने दिनांक 28.11.2017 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे अधिनस्थ न्यायालय को इस वास्तविक तथ्य से अवगत करा दिया था उक्त प्रकरण मे 'शासन द्वारा कारण बताओ नोटिस निगरानीकर्ता को प्रेषित किये है जिसमे म.प्र. शासन व निगरानीकर्ता ही आवश्यक पक्षकार है उत्तरदाता क 02 का आवेदित भूमि मे व प्रकरण मे किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष

—2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4200/2018 जिला सागर

महर्षि वेद विज्ञान / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-9-18	आवेदक अभि. श्री सुनील सिंह जादौन एवं मान. अभि श्री अजय चतुर्वेदी शासन की ओर से उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। आदेशार्थ। (हस्ताक्षर)	
11.9.2018	(1) प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक एवं शासन पक्ष अभि. को दिनांक 10/9/2018 को सुना जा चुका है। (2) मेरे द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार सागर की आदेश पंजिका 22/12/17 का अध्ययन किया गया। उक्त आदेश पंजिका अनुसार शासकीय भूमि के संरक्षण के सम्बन्ध में श्री सुनील सोनी का CPC 1(10) का आवेदन स्वीकार कर अपना पक्ष रखने हेतु उन्हें अवसर दिया गया है, जो गलत नहीं है। (2) अतः निगरानी अग्राह्य (Reject) की जाती है। (हस्ताक्षर) 11.9.2018	

[कृ. प. उ.